

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड विधान मंडल के
(सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

विषय—सूची ।

खण्ड—1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम—16, 2002 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 की धारा—2 में संशोधन ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा—3 में संशोधन ।
4. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम—9, 2006 की धारा—2 का संशोधन ।
5. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा—4 का संशोधन ।
6. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम, 9, 2006 की धारा—3 का संशोधन ।
7. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम—10, 2008 की धारा 8 में संशोधन ।
8. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—6 में संशोधन ।
9. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम—10, 2008 की धारा 8 में संशोधन ।
10. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—11 यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम—2008 की धारा 4 में संशोधन ।
11. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13 में संशोधन ।
12. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—10 में संशोधन ।
13. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13, में यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा 8 द्वारा उपधारा 13(क) में संशोधन ।
14. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—6 में संशोधन ।
15. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—6 में संशोधन में संशोधन ।
16. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन अधिनियम 03, 2001 की धारा 11 में संशोधन ।
17. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 15 (II) में संशोधन ।
18. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—15 (II) में संशोधन ।

झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)

(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001, (झारखण्ड अधिनियम—16, 2002, झारखण्ड अधिनियम 09, 2006 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः—

(i). यह अधिनियम झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii). यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम—16, 2002 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 की धारा—2 में संशोधन — झारखण्ड अधिनियम—03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम—16, 2002 की धारा—2 में वेतन प्रावधान में अधिकतम अंक एवं शब्द 8,000/- (आठ हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 20,000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम—9, 2006 की धारा—2 का संशोधन— क्षेत्रीय भत्ता के प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द 8,000/- (आठ हजार) रु0 के स्थान पर अंक एवं शब्द 20,000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा—3 में संशोधन— झारखण्ड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में 5,000/-रु0 (पाँच हजार) के स्थान पर अंक एवं शब्द 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) में यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 7 द्वारा उपधारा 18(ii) के रूप में जोड़े गये, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 3(ख) भूतपूर्व सदस्य (विधायक) को चिकित्सा भत्ता मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000/- के स्थान पर 3,000/- रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 03, 2001 की धारा—7 में सदस्य (विधायक) को पोस्टल एवं स्टेशनरी मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000/- के स्थान पर 8,500/- रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा—4 का संशोधन— सवारी भत्ता प्रावधान के अंतर्गत अकित अधिकतम अंक एवं शब्द में 300/- (तीन सौ) रु0 के स्थान पर 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13 में यथासंशोधित अधिनियम 9, 2006 की धारा—8 द्वारा उपधारा 13 (क) के रूप में जोड़ा गया सदस्य (विधायक) को समाचार पत्र—पत्रिकाएं मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 500/- के स्थान पर 1,000/- रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
9. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—8(1), यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा 3, में सदस्य (विधायक) को दैनिक भत्ता मद में प्रावधानित राशि 500/- के स्थान पर राज्य के अंदर 1000/- तथा राज्य के बाहर 1500/- रुपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
10. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम—10, 2008 की धारा 8 में संशोधन— सदस्य को यात्रा भत्ता मद में प्रावधानित अधिकतम अंक एवं शब्द में 10/- (दस) रु0 के स्थान पर 15/- (पन्द्रह) रु0 प्रति किलोमीटर प्रतिस्थापित किया जायेगा।
11. आवास राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।
12. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—11 यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम—2008 की धारा 4 द्वारा सदस्य (विधायक) के निजी सहायक को प्रति माह प्रावधानित राशि 10,000/- के स्थान पर 15,000/- रुपये प्रतिमाह एकमुश्त प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
13. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13 सदस्य (विधायक) को दूरभाष मद में प्रावधानित राशि के स्थान 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष (राशिका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप इवं इंटरनेट पर खर्च कर सकेंगे) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
14. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—10 के पश्चात् निम्न उपधारा 10(i) जोड़ी जायेगी।
“10(i) लैपटॉप प्रिन्टर— प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि में लैपटॉप (प्रिन्टर सहित) के लिए 50,000/- रुपये अनुमान्य होंगे। सदस्यता समाप्त होने पर खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जाएगा।”
15. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13, में यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा 8 द्वारा उपधारा 13(क) के रूप में जोड़ा गया, सदस्य (विधायक) को उपरकर, साज, सामग्री के लिए प्रावधानित राशि 25,000/- के स्थान पर 50,000/- रुपये एक टर्म के लिए प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
16. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—6 में सदस्य (विधायक) को मोटरगाड़ी कय हेतु ऋण की सुविधा में प्रावधानित राशि 5,00,000/- के स्थान पर 10,00,000/- रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन)

17. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) संशोधन अधिनियम 03, 2001 की धारा 11 के पश्चात् निम्न उपधारा जोड़ी जायेगी।

(i)-आदेशपाल/अनुसेवक का प्रावधान—प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि में अधिकतम 5,500/- पारिश्रमिक पर एक अनुसेवक अनुमान्य होगा।

18. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 15 (ii) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा—

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी; वेतन, भत्ता, पेशन एवं अन्य सुविधायें।

(ii) इसका अन्तर्गत सम्पूर्ण विधायक विभागों के लिए उपबंध किया जायेगा।

(iii) झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 का। सभी विभागों के लिए उपबंध किया जायेगा।

(iv) झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 का विधायिक विभागों के लिए उपबंध किया जायेगा। इसका अधिकतम राशि एवं राशि 8,000/- (आठ हजार) रुपये की रकम पर अक्षर एवं राशि 30,000/- (तीस हजार) रुपये की रकम पर अतिस्थापित किया जायेगा।

(v) झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 का सभासभावित झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-2 का संशोधन—विधायिक विभाग की व्यापारिक अधिकतम राशि एवं राशि 8,000/- (आठ हजार) रुपये की रकम एवं राशि 30,000/- (तीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(vi) झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 का सभासभावित झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-4 में संशोधन—विधायिक विभाग भड़क के प्रत्येक सदस्य को सभासभावित राशि एवं राशि 5,000/- (पाँच हजार) की रकम पर अतिस्थापित किया जायेगा।

(vii) झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) में यथावत् आदेशपाल 16, 2002 की धारा 7 की उपधारा 16(2) के त्रैयों में बोडे राय, कर्मचारीवाद अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(2) भूतपूर्व सदस्य विभागों की विकास भवन में प्रति वाह प्रावधानित राशि 2,000/- की रकम पर 3,000/- रुपये प्रतिस्थापित किये जायें।

(viii) झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा-7 में सदस्य विभाग को पोलिज एवं सदस्यों की रकम पर 5,000/- रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ix) झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-6 का संशोधन—संवारी विधायिक विभाग की अतिरिक्त विभाग अधिकतम राशि एवं राशि 300/- (तीन सौ) की रकम पर 600/- (पाँच सौ) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

भूतपर्व माननीय सदस्य के लिए उपबंध में संशोधन:-

1. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) में संशोधन।
2. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 6(ख), यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा 7(i) में संशोधन।
3. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) — में संशोधन।
4. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(i)(ख) में संशोधन।
5. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17 में में संशोधन।
12. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—11 यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम—2008 की धारा 4 द्वारा सदस्य (विधायक) को निची स्तरमान को प्रति वर्ष प्राप्तानि लागि व्यवस्था के बहाने पर 15,000/- कम से प्रतिवाह एकमुक्त प्रतिवाहीपत्र लिये जायेंगे।
13. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13 सदस्य (विधायक) को वर्षानि 10 रुपयोगित शाखा के स्थान 1,00,000/- कम से प्रतिवर्ष (प्रतिवाह एकमुक्त प्रतिवाहीपत्र लागतलाईत प्रति इकानीन वर्ष द्वारा तर तर्की) प्रतिवाहानि लिये जायेंगे।
14. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—10 को प्रत्यासाम लिये लागतलाई 10(i) जोड़ी जायेगी।
- 10(i) लेपटीप ड्रिफ्ट— प्रत्येक वर्षानि को सदस्य रहने वी अवधि से लेपटीप (ड्रिफ्टर सीरीज) को लिए 50,000/- कम से अधिकान्य होगी। सदस्यल समाप्त होने पर उपरोक्त वर्षानि का 10 वालीका शाखा व्यापस किया जाएगा।
15. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—13, में यथासंशोधित अधिनियम—9, 2006 की धारा, 8 द्वारा लघुवारा 13(क) के रूप में जारी गया, सदस्य (विधायक) को उपरकार द्वारा सामग्री को लिए जानानि, लागि 25,000/- के स्थान पर 50,000/- कम से एक दर्ज के लिए प्राप्तानि लिये जायेंगे।
16. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा—6 में सदस्य (विधायक) को नाट्रियम्डी क्लय हेतु ज्वरी की सुविधा में प्राप्तानि शाखा 6,00,000/- के स्थान पर 10,00,000/- कम से प्रतिवाहानि लिये जायेंगे।

भूतपूर्व माननीय सदस्य के लिए उपबंध में संशोधनः—

1. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) के द्वारा भूतपूर्व सदस्य (विधायक) को पेंशन के रूप में प्रति माह प्रावधानित राशि 5,000/- के स्थान पर 15,000/- रुपये बेसिक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
2. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 6(ख), यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा 7(i) के द्वारा भूतपूर्व सदस्य (विधायक) के पेंशन में वार्षिक वृद्धि हेतु प्रावधानित राशि 900/- प्रतिवर्ष के स्थान 2,000/- रुपये प्रतिवर्ष तथा अधिकतम 30,000/- के स्थान पर 50,000/- रुपये तक के रूप में प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) — में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा।

भूतपूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक 75 प्रतिशत पेंशन देय होगा।

4. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(i)(ख) में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा।

विधान—सभा के एक वर्ष के खंडित अवधि को एक पूर्ण वर्ष माना जायगा।

5. झारखण्ड विधान—मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17 में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा।

भूतपूर्व सदस्य (विधायक) को झारखण्ड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायत दर 100/- रु० प्रति कमरा / 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है। पेशन की रूप में वित्त वाल प्रतिक्रिया राशि 5,000/- की स्थान पर 15,000/- रुपये वैसिक प्रतिवर्षापित किये जायेगी।

2. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) विधेयक, 17 अगस्त 2006 की घास 20 के द्वारा अधिनियम 18 अगस्त 2006 की घास 20 (चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह) अधिनियम 18 अगस्त 2006 की घास 20 यथासङ्गति वाल अध्यक्ष।

3. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) विधेयक, 17 अगस्त 2006 की घास 20 यथासङ्गति वाल अधिनियम 18 अगस्त 2006 की घास 20 (चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह) विधेयक की घास 20 के द्वारा अधिनियम 18 अगस्त 2006 की घास 20 यथासङ्गति वाल अध्यक्ष।

4. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) अधिनियम 03, 2001 की घास 17(एवं) विधेयक वाल अध्यक्ष।

मूलभूत वालीद सदस्यों के भत्ता/पत्नी डॉनों को ऊर्ध्वांश नहीं रहने पर उनके आकित (एवं/पुत्री) को कर्तव्य होने तक 75 प्रतिशत पेशन दद होगा।

5. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) अधिनियम 03, 2001 की घास 17(एवं) विधेयक वाल अध्यक्ष।

मूलभूत वालीद सदस्यों को झारखण्ड मंडल ने कमता वित्त रहने पर विधान दर 100/- से 20 प्रतिशत तक 100/- 20 प्रतिशत तक जायेगा।